फिर चली घड़ी की टिक-टिक

पावटा। कस्बे की ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाले घंटाघर पर कई दशकों बाद घड़ी के पुनः संचालित होने से आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से हटी पडी घंटाघर की घड़ी को नया रूप देते हुए घंटाघर के चारों तरफ पुनः नई घड़ियां लगवाकर विधायक कुलदीप धनखड़ ने घंटाघर के नाम को सार्थक करने का कार्य किया है। घंटाघर कस्बे की ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद वर्षों से इसमें घड़ी नहीं थी। जिससे इसकी उपयोगिता और पहचान प्रभावित हो रही थी। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से घडी लगवाने की मांग की जा रही थी। विधायक धनखड़ के प्रयासों से अब घंटाघर के चारों तरफ लगी घड़ियां फिर से समय बताने लगी है।

सार्वजनिक सूचना

आवेदक श्री प्रताप सिंह नरुका पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह नरुका द्वारा जयपुर JDA में ऑनलाइन आवेदन संख्या 268268 दिनांक 23.11.2025 के माध्यम से भूखण्ड संख्या F-98, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, योजना AMARPALI NAGAR मूल आवंटीआम्रपाली रियल एस्टेट प्रा. लि. जरिये निदेशक पवन अग्रवाल पुत्र स्व. श्री कन्हैया, के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी व्यक्ति, वारिस, संस्था को इस नामांतरण पर कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर JDA की वेबसाइट jda.rajasthan.gov.in पर Objection Module के माध्यम से साक्ष्य सहित online आपत्ति सबमिट करें, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 56/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती शिष्य श्री महन्त केदारपुरी निवासी कल्याणकारी गौशाला संस्था 2 लगम गंगानगर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत मन्दिर श्री ठाकुर जी ग्राम मोरदा पोस्ट केशवाना राजपूत तह. कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 6.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.4.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय SDO साहब स्थान सांभरलेक
मन्नाराम विरूद्ध तहसीलदार वगै.
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे.
प्रार्थना-पत्र संख्या 09 सन् 2025

नाम लक्ष्मण पुत्र बिरदाराम जाति बलाई पता बलाईयों का मौहल्ला नि. निमली तह. दूदू जिला जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि.24 माह 02 सन् 2026 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 09 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत — आज्ञा से-रीडर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान सांभरलेक
दानाराम वगैरह विरूद्ध तहसीलदार वगै.
वाद/प्रार्थना पत्र धारा 131/136 L.R.Act.
प्रार्थना-पत्र संख्या 24 सन् 2024

नाम लक्ष्मण उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री अर्जुन जाति बलाई पता बलाईयों का मौहल्ला निमली तहसील दूदू जिला जयपुर राज.
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि.24 माह 02 सन् 2026 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 09 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत — आज्ञा से-रीडर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जन समस्याओं के समाधान के लिए भरतपुर में बड़ा प्रदर्शन

भरतपुर (निस)। जन संघर्ष मोर्चा संभाग भरतपुर एवं आवासहीन जन संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त तत्वावधान में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने लाल झण्डे लेकर भरतपुर में बडा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आवासहीनों को जो पिछले लम्बे अर्से से संघर्षरत हैं अविलम्ब आवास दिलाये जाने, बुद्ध की हाट कोलोनी से बीनारायन जाने वाली रोड को शीघ्र सफाई एवं अवरूद्ध नालों को सही कराने, जसवंत नगर, गोपालगढ़, आनंनद नगर आदि अनेकों कोलोनियों में गंदगी के ढेर आदि की शीघ्र सफाई कराने, आवारा सांड, गाय, बंदर, कुत्ते, मच्छरों एवं जंगली जानवरों से निजात दिलाने, सिमको जैसे बडे उद्योग के कर्मचारियों को जिन्हें नौकरी से पृथक कर रखा है उनकी टोल्युटी आदि दिलाने, अन्य बकाया का शीघ्र भुगतान कराये जाने तथा रोजगार की व्यवस्था कराये जाने, पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को अविलम्ब लागू कर भरतपुर-डीग एवं धौलपुर की नदियों में चम्बल का पानी लाये जाने एवं तीनों जिलों के जल भराव की निकासी कराये जाने, सीनियर सिटीजन को कम से कम 3000 रू० मासिक पेंशन दिलाये जाने जैसे मुद्दों को अविलम्ब समाधान कराये जाने आदि समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि एक तरफ प्रशासन भरतपुर में सरकार के कहने से तोड़फोड कर अतिक्रमण हटाने के बहाने आमजन को निशाना बना रहा है जबकि कायदा यह है कि सरकार को यदि आवश्यकता के अनुसार कुछ हटाना भी है तो संबंधित को नुकसान की भरपाई की जाये।

जन संघर्ष मोर्चा संभाग भरतपुर के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने लाल झण्डे लेकर भरतपुर में बड़ा प्रदर्शन किया।

- प्रदर्शन में आवासहीनों को जो पिछले लम्बे अर्से से संघर्षरत हैं अविलम्ब आवास दिलाये जाने, बुद्ध की हाट कोलोनी से बीनारायन जाने वाली रोड की शीघ्र सफाई की मांग की

अंशिता ने 98.28 प्रतिशत अंक पाये

टोंक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तत्वाधान में आयोजित यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 के परिणाम में जिले के छोटे से गांव करीमपुरा (छान) निवासी अंशिता चौधरी ने 98.28 प्रतिशत अंक अर्जित कर अपने गांव का नाम रोशन किया है।

खोया पाया

आवास संख्या 1/34 SFS मानसरोवर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। ABHI JAIN मो. 9610296102

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल, जयपुर द्वारा जारी (B.Pharma) फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट संख्याः 56396, जारी दिनांक 12.04.2021 कहीं गिर गया है। कृप्या मिलने पर सूचित करें बुद्धाराम पुत्र ढगला राम, 9785309997, मुकाम मेरावा गांव पोस्ट मांडा जिला पाली 306103

NAME CHANGE

I Army no. 2705326Y Rank NK Name Tulsidas Pawar Dharpure in my service document my Wife name Sangeeta is wrongly as per civil document my Wife Correct name is Sangeeta Pawar

I Army no. 2705326Y Rank NK Name Tulsidas Pawar Dharpure in my service document my Mother name Sarja Bai is wrongly as per civil document my Mother Correct name is Sarja Pawar

I Army no. 2705326Y Rank NK Name Tulsidas Pawar Dharpure in my service document my father name Ramrav Pawar Dharpure is wrongly as per civil document my Father Correct name is RAMRAV PAWAR

I, hitherto known as VISHNU alias GURJAR GAJENDRA GIRRAJPRASAD, S/o HARKESH, R/o Jaisinghpura, Karauli, Jagdishpura, Rajasthan - 322254, have changed my name and shall hereafter be known as GURJAR GAJENDRA GIRRAJPRASAD.

It is for general information that I, RAMAVTAR MEENA, Son of MUKNDA RAM, Residence of Kharthal, Sainthal, Dausa, Rajasthan - 303507, declare that name of my wife has been wrongly written as URMILA DEVI in my Service Record. The actual name of my wife is RAM BAI DEVI, respectively. Which may be amended accordingly.

I, DEVIRAM S/o DOULAT RAM, R/o Maheshara, Mahesara, Alwar, Tijara, Rajasthan-301707, have changed the name of my minor son namely BABY TWO OF SHARMILA, aged 8 years and he shall hereafter be known as AAVESH KUMAR.

I, hitherto known as ASHRAFI alias ASHRAFI CYCLEWALA, W/o SHOKAT HUSSAIN CYCLEWALA, R/o NEW ABADI SAIFYPURA, BANSWARA (RURAL), BANSWARA, RAJASTHAN- 327001 have changed my name and shall hereafter be known as ASHRAFI BAI CYCLEWALA.

I Ishwar Kumar Lalwani S/o Boolchand R Lalwani residing at Flat No. 13/2 D, Rail Vihar 1, Sector 9, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302039. I have changed my name from Ishwar Lalwani to Ishwar Kumar Lalwani, In future I will be known by my changed name.

I Daulat Ram Yadav s/o Ram Sawrup Yadav resident Vill. Shivdan singh pura dist. Alwar.that I have changed my name from DaulatRam Yadav to Daulatnai Nath urf Daulti Nath Chela baba Ramtai Nath.Mahatma Prachanda Mahadev Alwar. old and new names refer to one and the same person.

विराटनगर क्षेत्र में आए दिन ट्रांसफार्मरों से हो रही है चोरी

- पुलिस की गस्त पर सवालिया निशान
- क्षेत्र में हो रही चोरियों पर लगाम और खुलासे के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा
- शनिवार रात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बना उसे पोल से उतारकर तोड़ दिया और उससे कॉपर तथा तेल चोरी कर ले गए।

पावटा। विराटनगर पुलिस थाना क्षेत्र इन दिनों अंधेरी नगरी चौपट राजा की मिसाल बनता जा रहा है, जहां पुलिस गश्त की पोल खुलती नज़र आ रही है। विद्युत ट्रांसफार्मर चोर गिरोह बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे है और पुलिस प्रशासन सिर्फ तमाशबीन नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला पालडी ठाम व पालडी तिराहे का है जहा सड़क के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को अज्ञात चोर तोडकर उसमें से कीमती सामान कॉपर की वायर व ऑयल चुरा कर ले गए।

सुबह ग्रामीणों ने जब विद्युत ट्रांसफार्मर टूटा हुआ देखा तो पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को सूचना दिए लगभग तीन घंटे हो गए लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे है और घटना स्थल का जायजा लिया। लेकिन लगातार हो रही चोरी की घटनाएं साफ दिखा रही हैं कि चोरों के हौसले बुलंद है और पुलिस की पकड कमजोर होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस ने अब भी सख्ती नहीं दिखाई तो हालात और बिगडेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस चोर गिरोह का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए ताकि ऐसी वारदाते दूबारा नहीं हो। वही बागावास चौरासी के पास शनिवार रात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बना उसे पोल से उतारकर तोड़ दिया और उससे कॉपर तथा तेल चोरी कर ले गए। घटना के चलते पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित रही। जिससे ग्रामीणों को रातभर अंधेरे में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। रविवार सुबह ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला।

जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग को सूचना देकर नया ट्रांसफार्मर शीघ्र लगाने की मांग की। सूचना पर बिजली विभाग के लाइनमैन विनोद कुम्हार तथा भाबरू थाने से पुलिसकर्मी रामरतन बैरवा व अशोक मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से ट्रांसफार्मर चोरी समेत अन्य चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन. स्थानीय पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। वही पुलिस उप महानिरीक्षक देवेन्द्र बिश्नोई को क्षेत्र में हो रही चोरियों पर लगाम लगाने और हुई वारदातों का खुलासा करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। हाल ही पावटा के लाडाकाबास के सुरती निवासी रामनिवास के घर चोरी में महिला के सोने चाँदी के जेवरात चोरी हो गए थे। इसको लेकर एक शिष्ट मंडल प्रागपुरा थाने में मिल चुका पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इस प्रकार के अनेकों मामले क्षेत्र में घटित होने से पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी है। थाना अधिकारी से लेकर पुलिस जाँच अधिकारी की कार्यशैली लचीली नजर आई। जी एल यादव ने बताया

भरतपुर में राजीव गांधी युवा मित्रों का विरोध प्रदर्शन

भरतपुर। राजीव गांधी युवा मित्रों ने अपने रोजगार की बहाली की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक विशाल रैली निकाली। रैली का नेतृत्व युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने किया। इस दौरान संजय मीणा ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रदेश भर में लगभग 5 हजार राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की गई थी, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद केवल राजीव गांधी नाम जुड़ा होने के कारण इस योजना को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को नाम से आपत्ति थी तो योजना का नाम बदला जा सकता था, लेकिन युवाओं से उनका रोजगार छीन लेना पूरी तरह गलत है। संजय मीणा ने आरोप लगाया कि रोजगार खत्म होने के कारण अब तक 6 युवा मित्र साथियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस गंभीर मामले पर कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि सरकार द्वारा प्रस्तावित अटल प्रेरक भर्ती में राजीव गांधी युवा मित्रों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो युवा मित्रों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। रैली के दौरान युवा मित्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोजगार बहाली की मांग उठाई।

धड़ल्ले से हो रहे अवैध अतिक्रमण

चौमूं / कालाडेरा। कालाडेरा नगरपालिका क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण कार्य को बन्द करने व अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन अवैध निर्माण कार्य नोटिस के बाद भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। साथ ही नोटिस के बाद भी अवैध अतिक्रमण को अभी तक भी हटाया नहीं गया है। वहीं कस्बे के मुख्य मार्ग अस्पताल रोड पर स्थित भोमियां जी महाराज के मन्दिर के पास बिना अनुमति के अवैध तरीके से हरे पेड़ो को काट कर अवैध अतिक्रमण किया गया है जब की अवैध अतिक्रमण की सूचना मिलते ही नगरपालिका प्रशासन ने काटें गए हरे पेड को जप्त करता है।

शिविर में सहकारिता विभाग ने 12 किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया

टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में टोंक जिले की पंचायत समिति निवाई के ग्राम पंचायत ललवाडी में सोमवार को आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का जिले के प्रभारी सचिव विश्व मोहन शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी मौजूद रहीं। जिला

- ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण

टोंक की ग्राम पंचायत ललवाडी में सहकारिता विभाग ने 12 किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया।

प्रभारी सचिव ने शिविर में 13 विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल पर जाकर 10 दिवसीय शिविरों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा शिविर के माध्यम से आमजन को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाए। शिविर के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा 12 किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीण नवल कंवर, गिर्राज सिंह, संतोष देवी एवं गोविन्दी देवी को पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर बीमा पॉलिसी की प्रति सौंपी गई। शिविर में शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवास की स्वीकृत राशि के चौक सौंपे। लाभार्थियों ने बताया कि पूर्व में कच्चे मकानों में रहने के कारण विशेषकर वर्षा ऋतु में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो अब पक्का आवास मिलने से समाप्त हो जाएगी। साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में कृषि यंत्र, तारबंदी, पाइपलाइन के लिए स्वीकृत राशि के पत्र व मृदा स्वास्थ्य कार्ड सौंपे गए।

'अधिकारी शिकायतकर्ता से फीडबैक लें'

खैरथल। जिला सचिवालय पर सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजित हुई। बैठक में विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया 30 दिवस से ऊपर लंबित परिवादों को निस्तारित करें। साथ ही उन्होंने टाइम एस्केलेशन के माध्यम से परिवादों के उच्च स्तर पर जाने को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए टाइमलाइन के अनुसार परिवादों के निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर विशेष निर्देश दिए और कहा कि सभी शिकायतों का समाधान गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिला अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो शिकायतकर्ता परिवादों से फोन पर संवाद कर फीडबैक लें। ताकि निस्तारण की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके और इसका विधिवत रिकॉर्ड भी संधारित किया जाए। बैठक के दौरान समाज कल्याण अधिकारी रमेश देहमिवाल, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, पुलिस, राजीविका, बिजली, कृषि, वन, शिक्षा, सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

आम सूचना

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त वीजन शिक्षा समिति देवली टोंक द्वारा संचालित वीजन आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र में रिक्त रही सीटों पर सीधे प्रवेश हेतु दिनांक 11/02/2026 को संस्था स्तर पर काउस्लिंग रखी गई है। इच्छुक सभी संकाय के छात्र प्रवेश हेतु अपने आश्वयक दस्तावेज (10वीं, 12वीं मूल अंकतालिका, मुलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, फोटो-2) मूल दस्तावेज सहित उक्त दिनांक को संस्था में 9 बजे से 12 बजे तक उपस्थित होकर जमा करा सकते है एवं उक्त दिनांक को दोपहर 2 बजे से काउस्लिंग प्रारम्भ की जावेगी।
सूचनार्थ
प्राचार्य वीजन आयुर्वेद नर्स / कम्पाण्डर प्रशिक्षण केन्द्र

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक 10204 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक - 06/02/26

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 268/159 (EWS), (एरिया 86.360 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री खुशी राम आसनानी पुत्र श्री प्रेमचन्द आसनानी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 7709 दिनांक 27.11.2003 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 8447 दिनांक 30.12.2003 को जारी किया गया। श्री खुशी राम आसनानी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 10.09.2010 को सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्री खुशी राम आसनानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 04.12.2015 के द्वारा श्रीमती सुनीता जांगिड़ पत्नी श्री दिनेश चन्द जांगिड़ को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सुनीता जांगिड़ द्वारा उक्त आवास को दिनांक 20.08.2025 के द्वारा श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केता श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बावत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित रहे कि मेरे अभिभाष्यगण श्री बिशन सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री तेज सिंह शेखावत व श्रीमती रेखा कंवर पत्नि श्री बिशन सिंह शेखावत निवासी- गांव-हांसपुर तहसील-श्रीमाधोपुर जिला-सीकर, हाल निवासी- 36, माउन्ट व्यू, चतरपुरा रोड, खोरा बिसल, जयपुर के पुत्र बजरंग सिंह शेखावत व उसकी पत्नि श्रीमती राधा कंवर गत दो वर्षों से मेरे अभिभाष्यगण के साथ रिहायश नही कर रहे है और कहने सुनने व सम्पर्क में नही है बल्कि मेरे अभिभाष्यगण की सेवा सुश्रुषा करने की वजाय लडाई, झगडा, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देते है। जिसके कारण मेरे अभिभाष्यगण ने अपने पुत्र बजरंग सिंह व उसकी पत्नि श्रीमती राधा कंवर की गैर वाजिब हरकतो, धमकियों एवं फंसाद करने से व्यथित होकर इन दोनो व इनसे उत्पन्न संतान को अपने परिवार व अपनी चल अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है, इनसे मेरे अभिभाष्यगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है एवं इनके द्वारा आज से पूर्व व पश्चात किये गये किसी भी कृत्य, लेन-देन, संव्यवहार इत्यादि के लिये मेरे अभिभाष्यगण जिम्मेदार नहीं होंगे। सूचित रहे।
दिनांक-10.2.2026 — भगवत गौड एडवोकेट मो. 9784599380

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1281

चूंकि प्रार्थी श्री MANOJ KUMAR SHARMA, 02 KASHI NAGAR BENAR REILWAY STATION BOYATAWALA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास नया सवेरा शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास संस्थान जयपुर 02 KASHI NAGAR BENAR REILWAY STATION BOYATAWALA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.04.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1284

चूंकि प्रार्थी श्री KESHAR DEO SHARMA, 22 PRABHAT COLONY VIJAY BARI PATH NO 7, SIKAR ROAD, MURLIPURA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास खाण्डल विप्र विद्यालय समिति जयपुर JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.04.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1269

चूंकि प्रार्थी श्री MANOHAR LAL KHANDELWAL, B 13, MANDIR MARG SUBHASH NAGAR SHASTRI NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास जन उपयोगी भवन संस्थान जयपुर JAN UPAYOGI BHAWAN SANSTHAN POLICE ACADEMY ROAD, SHASTRI NAGAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.04.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर,
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर

आलोक कुमार चक्रवर्ती पुत्र श्री अरूण कुमार चक्रवर्ती एवं अभिजीत चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती द्वारा मूल आवंटी अंजना चक्रवर्ती पत्नी श्री अरुण कुमार चक्रवती भूखण्ड संख्या 286 भूखण्ड क्षेत्रफल 249.11 SQ&YARD योजना का नाम गायत्री नगर ए. नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति, की मृत्यु दिनांक 04. 01.2026 व अरूण कुमार चक्रवर्ती की मृत्यु दिनांक 18.11.2017 के पश्चात नाम ट्रांसफर कार्यवाही हेतु आवेदन किया गया है। अरुण कुमार चक्रवर्ती की मृत्यु दिनाक 18.11. 2017 व अंजना चक्रवर्ती की मृत्यु दिनांक 04.01. 2026 को हो चुकी है। उक्त भूखण्ड का रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 20.06.2011 को श्रीमति अंजना चक्रवर्ती पत्नी श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती के द्वारा अपने तीन पुत्रन 1 आलोक चक्रवती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती 2. अमित चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवती 3 अभिजित चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती में से दो पुत्रन को 1 आलोक चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती को ग्राउण्ड फ्लोर व 2. अभिजित चक्रवर्ती पुत्र श्री अरुण कुमार चक्रवर्ती को प्रथम फ्लोर की वसीयत का निष्पादन किया गया है।
उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda&rajasthan&gov-पद पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
महावीर
डिप्टी कमिश्नर, जोन 5
दिनांक : 10.02.2026 — जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1245

चूंकि प्रार्थी श्री SUDHIR KUMAR JAIN, KD 19 C, ASHOK VIHAR, PHASE 1, HO NORTH WEST DELHI ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट S 10, JANTA COLONY, NEAR JANTA SHOPPING JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.04.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थान जयपुर (द्वितीय)
रविन्द्र सिंह विरूद्ध मोहन सिंह वगै.
वाद/प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र
प्रार्थना-पत्र संख्या 08 सन् 2024

नाम मोहन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत पता 17, राजपूतों का मौहल्ला ग्रा.पो. रामपुर (सेवापुरा) तह. आमेर जिला जयपुर (राज.)
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 04 माह 03 सन् 2026 को 10.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 02 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर — आज्ञा से-रीडर प्रथम अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-8 जयपुर महानगर द्वितीय

निविदा आमंत्रण
गुजरात और राजस्थान में स्थित 5 प्रमुख होटल संपत्तियों के संचालन का प्रबंधन करने का अवसर

नीसा लीजर लिमिटेड ("कंपनी"), एक कॉर्पोरेट देनदार, वर्तमान में, माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद बेंच द्वारा दिनांक **26 अप्रैल 2019** को पारित आदेश के अनुसार दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत **कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी)** से गुजर रही है। **श्री अमित जैन** को दिनांक **17 दिसंबर 2019** के आदेश द्वारा समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया है।
कंपनी के पास गुजरात और राजस्थान राज्यों में स्थित पांच होटल प्रॉपर्टीज हैं, जो **"कैम्बे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स"** ब्रांड नाम से संचालित होते हैं। **रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल इन होटलों के संचालक के रूप में** नियुक्ति हेतु **योग्य और अनुभवी होटल संचालकों** से रुचि की अभिव्यक्ति आवेदन आमंत्रित करता है।
इच्छुक पक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत कर सकते हैं:
- **एक या अधिक होटलों के लिए प्रॉपर्टी-वाइज बोलियां, और/या**
- **सभी पांच संपत्तियों के लिए एक समेकित बोली।**

इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 20 फरवरी 2026। संपत्तियों और बोली प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी **cirp@neesaleisure.in** पर लिखकर प्राप्त की जा सकती है।
संकल्प पेशेवर को लागू कानून और लेनदारों की समिति की स्वीकृतियों के अधीन, प्रक्रिया में संशोधन, परिवर्तन या उसे रद्द करने और किसी भी या सभी प्रस्तुतियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

अमित जैन
रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल - नीसा लीजर लिमिटेड
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01447/2018-2019/12196

कार्यालय नगर परिषद टोंक
क्रमांक :-राजस्व/ठेका/एमसीटी/2025/14007 — दिनांक :- 04.02.2026
निविदा सूचना संख्या : राजस्व/01/2025-26
(Nib cod- DLB2526B1195)

नगर परिषद टोंक क्षेत्र मे अस्थाई तहबाजारी हाट बाजार का ठेका ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वित्तीय 2025-26 मे इच्छूक एवं निर्धारित धारक फर्मो/व्यक्तियो से आमंत्रित कि जाता है।

क्र.सं.	निविदा का कार्य	अस्थाई तहबाजारी हाट बाजार बाबत्
1.	अनुमानित प्रारम्भिक आधार मूल्य राशि	1350000 (1 वर्ष के लिए)
2.	अमानत राशि	27,000/-
3.	निविदा शुल्क	1000/-
4.	MD, RISL	500/-
5.	निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की तारीख	04.02.2026 से 16.02.2026 तक
6.	ऑन लाईन निविदा जमा कराने की अन्तिम तारीख	16.02.2026 साय : 06.00 बजे तक
7.	ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	17.02.2026 अपरान्त 02.00 बजे से
8.	सभी दस्तावेज जमा कराने की तारीख	17.02.2026 दोपहर 12.00 बजे तक नगर परिषद टोंक राजस्व शाखा मे
9.	निविदा शुल्क MD, RISL शुल्क, धरोहर राशि निम्न प्रकार से जमा करवाना होगा	HDFC Bank A/c No- 50100586858491 IFSC Code-0007384 आयुक्त नगर परिषद टोंक

निविदा से संबंधित विवरण वेब साईट Portal/www.sppp.rajasthan.gov.in http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
UBN DLB2526SLOB33128
आयुक्त नगर परिषद, टोंक
राज.संवाद/सी/25/19414

उत्तर पश्चिम रेलवे
PROFORMA 10.01
भारतीय रेलवे
No.: EL/C/JP/PRO, — **दिनांक 07.02.2026**

रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपयोक्ताओ को एतत्द्वारा सूचना दी जाती है कि जयपुर मण्डल, उत्तर पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित खण्ड पर 25000 वोल्ट 50 हर्ट्ज, एसी शिरोपरि कर्शण तारों को खण्ड के सामने विनिर्दिश्ट तारीख 31.01.2026 को या उसके बाद ऊर्जित किया जाएगा। उस तारीख पर और उस तारीख से शिरोपरि कर्शण लाइन को सब समय विद्युन्मय माना जाएगा और कोई अनाधिकृत व्यक्ति उस शिरोपरि लाईन की सामीप्यता में दाखिल होने या काम करने नहीं जाएगा।

खण्ड	तारीख
KWP YARD KWP Yard, From KWP Yard, From KM: 221/818.25 (Loc. 221/47N) to Km. 224/533.00 (Loc. WSL-40 & WSL-41, L-11/3-4, L-12/5-6) of Khatipura yard line No.9 to 12 & 21 of Jaipur Division of North Western Railway.	**31.01.2026**

PROFORMA 10-02
भारतीय रेलवे
"सड़क उपयोक्ताओं को चेतावनी"

जन साधारण को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर डिवीजन की खातीपुरा यार्ड लाइन नंबर 9 से 12 तथा 21 के सेक्शन K WP यार्ड. **KM: 221 /818.25 (Loc. 221/47N) से Km 224/533.00 (Loc. WSL - 40 & WSL-41, L-11 / 3-4 L-12/5-6)** पर ओवरहेड ट्रैक्शन वायर 31.01.2026 को या उसके बाद 25 KV पर चार्ज किया जाएगा। सभी लेवल क्रॉसिंग पर हाइट गेज लगाए गए हैं, जिनकी सड़क लेवल से **क्लियर ऊंचाई 4.85 मीटर से 4.87 मीटर** है. ताकि ज़्यादा ऊंचाई वाले लोड लाइव ट्रैक्शन तारों (कॉन्टैक्ट वायर) के संपर्क में न आएं या **उनके खतरनाक रूप से पास न आएंए जो लेवल क्रॉसिंग पर रेल लेवल से कम से कम 5.5 मीटर की ऊंचाई पर होंगे।** जन साधारण को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वाहनों के लदान के प्रयोजन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट ऊंचाई का पालन करें और यह देखें कि सड़क वाहन में ढोये जा रहे लोड से किसी भी स्थिति में ऊचाई गेजों का उलंघन न करें।
अत्यधिक ऊंचाई के लोड के खतरे निम्नानुसार है:- **1.** ऊंचाई गेज के लिए खतरा और उसके फलस्वरूप सड़क और रेलवे लाइन पर बाधा। **2.** वाहन पर ले जाये जा रहे सामग्रियों या उपस्कर को खतरा। **3.** चालको की खतरनाक सामीप्यता या संपर्क के कारण आग का खतरा और जीवन की हानि का खतरा।

मुख्य विद्युत अभियंता
निर्माण, जयपुर
211-AR/26